<table>
<tr><td>तारीख
हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टी.ए./6552/2004/सवाईमाधोपुर
मीराबाई बनाम घनश्याम</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

<u>एकल पीठ</u>
श्री गणेश कुमार, सदस्य

आदेश
दिनांक 07.07.2021

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अधिवक्ता निगराकारान व गैर निगराकारान दोनों पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट हुआ कि चुनौतीगस्त आदेश दिनांक 26-10-2004 का है और मूल पत्रावली अभिलेख के रूप में संलग्न है, जिसकी अन्तिम आदेशिका दिनांक 22-11-2006 के अवलोकन से प्रकट है कि यह मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है और पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस वाद से सम्बन्धित कोई भी निगरानी पोषणीय नहीं रहने से सारहीन हो चुकी है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य</td><td></td></tr>
</table>